

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रजबंदा मैदान, रायपुर फोन 0771 2222990

www.govtdentalcollegeraipur.in

Email-govtdentalcollege@gmail.com (GST-22JBPS02579D1D2)

क्रमांक २३५ जीडीसी/मेंटें/AMC-CMC/2025

रायपुर, दिनांक 17/01/25

कोटेशन सूचना
Quotation Notice

विषय:- Dry Film Printer (Dry View Laser Imager) का व्यापक वार्षिक रखरखाव (CMC) हेतु प्राक्कलन दर प्रस्तुत करने बाबत।

===XX===

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के ओरल मेडिसीन एंड रेडियोलाजी विभाग में स्थापित Dry Film Printer (Dry View Laser Imager, Make-Carestream, Model No.- 5700) कुल- 01 नग का व्यापक वार्षिक रख-रखाव अनुबंध (CMC) किया जाना है।

S. No.	Name of Particular	Make/Model	Unit Price	GST %	Total Amount
1	Dry Film Printer - (CM C) (Dry View Laser Imager)	Carestream, Model No.- 5700			

अतः उपरोक्तानुसार कोटेशन दर मुहरबंद लिफाफे में दिनांक 23/01/2025 शाम 5:30 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त होने वाले कोटेशन/दर पर विचार नहीं किया जावेगा।

नियम एवं शर्तः-

- कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट रूप से उल्लेख करे।
- किसी भी फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
- प्रिंटर का सर्विस कार्य कार्यालय में ही संपादित करनी होगी, अति-आवश्यक होने पर ही सिस्टम कार्यालय से बाहर ले जाने की अनुमति होगी।
- लिफाफे के उपर कोटेशन क्रमांक एवं विषय का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रस्तुत कोटेशन दर 01 वर्ष/अनुबंध समाप्ति तिथि तक के लिये मान्य होगी।
- सर्विस प्रदाता फर्म को उक्त कार्य हेतु कुल आदेशित राशि का 5% राशि सुरक्षा निधि/अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर./बैंक गारंटी जो प्राचार्य, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के नाम से देय हो जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रिंटर के मरम्मत में बदले जाने वाले पार्ट्स को संबंधित विभागा में जमा करना अनिवार्य होगा।
- राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली गई फर्म मान्य नहीं होगी।
- प्रदायित किये जाने वाले सर्विस कार्य गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। अन्यथा ए.एम.सी. निरस्त की जा सकती है एवं वार्षिक रखरखाव के भुगतान की राशि की वसूली भी किया जायेगा जिसके जिम्मेदार फर्म स्वयं होंगे।
- दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिए समिति बाध्य नहीं होगी।

प्राचार्य
शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर